ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 233-238
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

गिलगित – बाल्टिस्तान क्षेत्र में चीन – पाकिस्तान गठजोड़ का भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव : एक मूल्यांकन

रवि प्रकाश सिंह
वरिष्ठ शोध अध्येता– रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-07.06.2023, Revised-11.06.2023, Accepted-17.06.2023 E-mail: raviprakashsingh@gmail.com

सारांश: *गिलगित बाल्टिस्तान जो कभी भारत के कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र था, जिसे पाकिस्तान ने छल पूर्वक अधिग्रहण कर लिया तथा 'इस क्षेत्र में अपने प्रशासनिक इकाइयों को स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग को जब लागू किया गया, तब यह क्षेत्र पाकिस्तान अधि.त कश्मीर से हटकर पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख कहा जाने लगा। यह क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने का भय बना रहता है। यह क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं के साथ–साथ क्षेत्र के प्रशासनिक इकाई, राजनीतिक इकाई के तथा यहां के रहन–सहन के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले कारक तथा सुरक्षा चुनौतियां के साथ–साथ इस क्षेत्र में चीन पाकिस्तान गठजोड़ के अंतर्गत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा तथा काराकोरम राजमार्ग पर प्रकाश डाला गया है। इस गठजोड़ से गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की सुरक्षा चिंता के साथ–साथ भारत की सुरक्षा चिंता पर क्या–क्या प्रभाव पड़ सकता है उनका भी अध्ययन अत्यंत गहनता से किया गया है।*

कुंजीभूत शब्द– पुनर्गठन आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा, गिलगित स्काउट्स, डायमर–भाषा बांध, फ्रंटियर ट्राइबल रेगुलेशन, दुसरजमीन बे आइन।

द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट कपलान कहते हैं कि यह तथ्य कि चीन को भूगोल का आशीर्वाद प्राप्त है, इतना बुनियादी है कि चीन की बढ़ती आर्थिक और भू–रणनीतिक मुखरता के बारे में बातचीत में इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैलफोर्ड मैकिंडर का हवाला देते हुए, कपलान लिखते हैं, ''जो यूरेशिया को नियंत्रित करता है, वह दुनिया को नियंत्रित करता है।'' आज, जब दुनिया उठ खड़ी हुई है और चीन की 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर ध्यान दे रही है, जो चीनी अर्थव्यवस्था को दक्षिण और मध्य एशिया और अंततः यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका की 64 अर्थ व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहता है। कपलान का कहना है कि जिस भूगोल को नजरअंदाज किया गया है, वह भारत के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना की चुनौती का मूल है।

गिलगित–बल्तिस्तान पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख के भीतर एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है जिसे पहले उत्तरी क्षेत्र या शुमाली इलाके के नाम से जाना जाता था। यह भारत की उत्तरतम राजनैतिक इकाई है। गिलगित–बल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। इसकी सीमायें पश्चिम में खैबर–पख्तून से उत्तर में अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से, उत्तरपूर्व में चीन के शिन्जियांग प्रान्त से, दक्षिण में पाकिस्तान प्रशासित गुलाम कश्मीर और दक्षिणपूर्व में भारत के जम्मू – कश्मीर राज्य से लगती हैं। गिलगित–बल्टिस्तान का कुल क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किमी (28,174 मील^2) और अनुमानित जनसंख्या लगभग दस लाख है। इसका प्रशासनिक केन्द्र गिलगित शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 2,50,000 है। 1970 में ''उत्तरी क्षेत्र" नामक यह प्रशासनिक इकाई, गिलगित एजेंसी, लद्दाख वजारत का बल्तिस्तान जिला, हुन्जा और नगर नामक राज्यों के विलय के पश्चात अस्तित्व में आई थी। पाकिस्तान इस क्षेत्र को विवादित भूतपूर्व रियासत जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र से पृथक क्षेत्र मानता है, जबकि भारत और यूरोपीय संघ के अनुसार यह भूतपूर्व रियासत जम्मू और कश्मीर के वृहत विवादित क्षेत्र का ही हिस्सा है। लद्दाख का यह वृहत क्षेत्र सन 1947 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। भारत ने पाकिस्तान से इस क्षेत्र को जल्द खाली करने को बोल दिया है। गिलगित–बल्टिस्तान को प्रशासनिक रूप से दो डिवीजनों और इन डिवीजनों को सात जिलों में विभाजित किया गया है। इन सात जिलों मे से दो जिले बल्टिस्तान और पांच जिले गिलगित डिवीजन में आते है। राजनीति के मुख्य केन्द्र गिलगित और स्कर्दू हैं।

गिलगित–बाल्टिस्तान में क्षेत्र चीन –पकिस्तान का गठजोड़ – उत्तरी पाकिस्तान में गिलगित–बाल्टिस्तान (जीबी) क्षेत्र, जिसे पहले पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, का एक लंबा इतिहास है। इस क्षेत्र के लोगों, जिन्हें डार्ड्स के रूप में वर्णित किया गया है, का उल्लेख शास्त्रीय ग्रीक और रोमन इतिहासकारों और पवित्र हिंदू ग्रंथों में किया गया है। इस क्षेत्र का प्रारंभिक इतिहास (तीसरी शताब्दी –10 वीं शताब्दी) यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र पर कुषाण, चीनी और तिब्बती साम्राज्यों का शासन था। चीनी यात्रियों के 7वीं सदी के वृत्तांतों और 8वीं और 9वीं सदी के अरबी और फारसी इतिहास में, इस क्षेत्र का नाम अरबी में पालोलो या बोलोर है। इसका उल्लेख 10वीं सदी के फारसी इतिहास होदुद अल–अलम, 11वीं सदी की कश्मीरी क्लासिक राजतरंगिनी में भी मिलता है और मुगल सम्राट अकबर के दरबार के इतिहासकार मिर्जा हैदर दुगलत की 16वीं सदी की तारीख–ए–रुश्दी। इस क्षेत्र का औपनिवेशिक इतिहास 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जम्मू के राजा गुलाब सिंह के डोगरा जनरलों के आक्रमण के साथ शुरू हुआ। यह विदेशी आक्रमणों और स्थानीय विद्रोहों का इतिहास है जो आज तक इस क्षेत्र की कानूनी, राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को लेकर व्याप्त भ्रम के केंद्र में है। जम्मू और बाद में कश्मीर से स्थानीय राजाओं के लगातार आक्रमण, फिर अंग्रेजों के साथ–साथ क्षेत्र के पाकिस्तान से लगाव के परिणामस्वरूप संप्रभुता के कई दावे और प्रतिदावे हुए हैं। आज यह क्षेत्र कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असाध्य विवाद में फंसा हुआ है। 19वीं सदी के अंत में एक समय पर, कश्मीर राज्य, ब्रिटिश और चीनी सभी ने एक साथ हुंजा के छोटे राज्य पर दावा किया था। गिलगित–बाल्टिस्तान का एक क्षेत्र के रूप में बड़ा दुःखद इतिहास रहा है, यह क्षेत्र भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, किंतु 1947 से ही पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। उत्तरी क्षेत्र का नामकरण 1947 के बाद पाकिस्तान द्वारा

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

किया गया था और इस क्षेत्र में गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र उपेक्षित, अलग–थलग, मताधिकारहीन है और इसकी स्थिति जानबूझकर संदिग्ध और अपरिभाषित रखा गया है। पाकिस्तान के 1956, 1962, 1972 और 1973 के संविधान में इन उत्तरी क्षेत्रों को पाकिस्तान के भाग की मान्यता नहीं दी। उसी तरह, 1974 के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतरिम संविधान ने गिलगित और बालतिस्तान को इसके भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया। शुरूआत करने के लिए यह समझदारी भरा होगा कि उत्तरी क्षेत्रों की स्थिति, भूगोल और लोगों के बारे में की संक्षिप्त जानकारी हो। जम्मू और कश्मीर राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 222,236 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से वर्तमान में 101,437 वर्ग किलोमीटर भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में है। जम्मू और कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान व चीन के अवैध नियंत्रण में है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) जिसमें तथाकथित आजाद कश्मीर (यहां आजाद कश्मीर का संदर्भ केवल पीओके के शेष भाग से अलग करने के लिए है) और गिलगित–बाल्टिस्तान, जिसमें 78,114 वर्ग किलोमीटर शामिल है। इसमें से गिलगित–बाल्टिस्तान (उत्तरी क्षेत्र) का हिस्सा तथा कथित आजाद कश्मीर के क्षेत्र का पांच गुना है। यह भाग, जो चीन के नियंत्रण में है, 42,685 वर्ग किलोमीटर है, इसमें 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को गैर कानूनी तरीके से दिया गया, 5,180 किलोमीटर हिस्सा शामिल है। गिलगित, गिलगित–बाल्टिस्तान की राजधानी है। इसमें नौ जिले हैा। बाल्टिस्तान क्षेत्र के जिलों में घानचे, स्कर्दु, खारमानु और शिगर शामिल हैं।

गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्र के धार्मिक समूहों में शिया (ट्वेल्वर्स), नरभक्षी (ट्वेल्वर्स), इस्माइली, सुन्नी और अहले हदिथ शामिल हैं। यहां बोली जाने वाली भाषाएं हैं– शिना, बाल्टी, वाखी, खोवार, गुजारी, बुरूशास्की, पुरिकी, कश्मीरी और पश्तो। गिलगित–बालतिस्तान, एक बहु–भाषाई क्षेत्र है जहां सामाजिक–संस्कृति और सजातीय विविधता हैं, जो हिंदुकुश और काराकोरम पहाड़ों से घिरा है। 2017 की पाकिस्तानी जनगणना के अनुसार, गिलगित–बालतिस्तान की जनसंख्या पूर्व में 1998 की जनगणना में दर्ज 870347 की तुलना में 1.8 मिलियन है। शिया 39.85 प्रतिशत, सुन्नी 30.05 प्रतिशत, इस्माइली 24 प्रतिशत, और नूरबक्शिस 6.1 प्रतिशत है। उसी 2017 की पाकिस्तानी जनगणना के अनुसार आजाद कश्मीर की जनसंख्या 1998 की जनगणना में 2.97 मिलियन की तुलना में 4.45 मिलियन थी। प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में गिलगित–बाल्टिस्तान पन–बिजली और खनिज के मामले में समृद्ध है और वहां कई पर्यटक स्थल भी हैं। पोलो इस क्षेत्र का लोकप्रिय खेल है। तथापि, कई कारणों से स्थानीय लोगों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। 1947 में गिलगित–बाल्टिस्तान महाराजा हरि सिंह के शासन के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य का भाग बना। उसके बाद से पाकिस्तान ने गिलगित–बाल्टिस्तान के संबंध में थोड़े बहुत बदलाव किए जिन्हें एक साथ मिला भी दिया जाए तो उन लोगों के जीवन में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ है। नवम्बर, 1947 में पाकिस्तान ने स्थायी प्रशासन चलाने के लिए गिलगित में मुहम्मद आलम को प्रतिनिधि के तौर पर भेजा। दो वर्ष बाद 1949 के करांची समझौते के कारण आजाद कश्मीर सरकार को भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए गिलगित–बाल्टिस्तान के प्रशासनिक और कानूनी नियंत्रण को पाकिस्तान के संघीय सरकार को सौंपने के लिए कहा गया। उसके बाद से गिलगित–बाल्टिस्तान के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को फ्रंटियर ट्राइबल रेगुलेशन (एफटीआर) के माध्यम से प्रबंधन किया जाता था। तदनुसार हीं, आजाद कश्मीर और उत्तरी क्षेत्र दो भिन्न सत्ता बन गए जिनके बीच कोई औपचारिक सरकारी संबंध नहीं था। इस करांची समझौते ने पाकिस्तानी सरकार को आजाद कश्मीर की रक्षा और विदेशी मामले की जिम्मेदारी भी दे दी।

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित–बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने का आदेश दिया है. भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि गिलगित–बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और उसे जल्द से जल्द इसे खाली कर देना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के गिलगित–बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने की निंदा की. विदेश मंत्रालय ने कहा कि गिलगित–बाल्टिस्तान भारत के अभिन्न अंग हैं और इन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, इसलिए पाकिस्तान के पास यहां चुनाव करवाने का कोई अधिकार नहीं है। 30 अप्रैल को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सरकार की याचिका पर फैसला देते हुए गिलगित–बाल्टिस्तान ऑर्डर, 2018 में बदलाव कर, इस इलाके में एक कार्यकारी सरकार बनाने और नए सिरे से चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने इस मुद्दें पर स्थिति 1994 में संसद में पास हुए एक प्रस्ताव के जरिए स्पष्ट कर दी थी और भारत की आज भी यही राय है।

भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद जम्मू कश्मीर को लेकर है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के पश्चिमी सिरे पर गिलगित और इसके दक्षिण में बाल्टिस्तान स्थित है। यह इलाका 4 नवंबर 1947 के बाद से ही पाकिस्तान के प्रशासन में है। भारत की आजादी से पहले गिलगित–बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था, लेकिन गिलगित–बाल्टिस्तान के इलाके को अंग्रेजों ने वहां के महाराजा से साल 1846 से पट्टे पर ले रखा था। ये इलाका ऊंचाई पर स्थित है, ऐसे में यहां से निगरानी रखना आसान था। यहां गिलगित स्काउट्स नाम की सेना की टुकड़ी तैनात थी। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो इसे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को वापस कर दिया गया। हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घंसार सिंह को यहां का गवर्नर बनाया तथा गिलगित स्काउट्स वहीं तैनात रही उस समय इस फौज के अधिकांश अधिकारी अंग्रेज ही हुआ करते थे। 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया तो 31 अक्टूबर को महाराजा हरिसिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह गिलगित–बाल्टिस्तान भी भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन गिलगित–बाल्टिस्तान में मौजूद फौज के अंग्रेज अधिकारियों ने इस समझौते को नहीं माना. वहां फौज ने गवर्नर घंसार सिंह को जेल में डाल दिया। वहां के अंग्रेज फौजी अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ गिलगित–बाल्टिस्तान को मिलाने का समझौता कर लिया।

2 नवंबर 1947 को गिलगित में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया. पाकिस्तान की सरकार ने सदर मोहम्मद आलम को यहां

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

का नया प्रशासक नियुक्त कर दिया। यह हिस्सा पाकिस्तान के प्रशासन में चला गया। 1949 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तानी सरकार के बीच हुए कराची समझौते के तहत गिलगित–बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 1970 में इसे अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम नॉर्दन एरिया रखा गया। 2007 में वापस इसका नाम बदलकर गिलगित–बाल्टिस्तान कर दिया गया। पाकिस्तान में चार राज्य हैं। इनके अलावा पाक प्रशासित कश्मीर और गिलगित–बाल्टिस्तान को स्वायत्त इलाके का दर्जा दिया गया है। 2009 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गिलगित–बाल्टिस्तान एम्पॉवरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 जारी किया।

इस कानून के तहत गिलगित–बाल्टिस्तान में एक विधानसभा बनाने और गिलगित–बाल्टिस्तान काउंसिल बनाने के आदेश दिए गए। गिलगित–बाल्टिस्तान में मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों होते हैं। किसी भी मामले का अंतिम फैसला लेने का अधिकार गवर्नर के पास सुरक्षित है। हालांकि सारे जरूरी फैसले लेने का अधिकार गिलगित–बाल्टिस्तान काउंसिल के पास है। इसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। 2009 के बाद गिलगित–बाल्टिस्तान में तीन मुख्यमंत्री रहे हैं। 2009 के सरकारी आदेश को 2018 में बदला गया और गिलगित–बाल्टिस्तान की विधानसभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। पाकिस्तान में चुनाव होने से पहले एक कार्यकारी सरकार का गठन होता है। यही कार्यकारी सरकार अपनी देखरेख में चुनाव करवाती है। 2009 से गिलगित–बाल्टिस्तान में चुनाव शुरू हुए लेकिन यहां चुनाव से पहले कभी कार्यकारी सरकार का गठन नहीं होता था। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली सात न्यायाधीशों के एक बेंच ने अपने आदेश में यहां 2017 के चुनाव कानून के तहत संबंधित कानून बदल कर कार्यकारी सरकार बनाने और चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं। इस फैसले में 2018 में गिलगित–बाल्टिस्तान को दी गई कई छूटों में भी कटौती की गई है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा है कि बदलाव राष्ट्रपति के अध्यादेश से किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक फैसले में गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों को अधिकार देने से संबंधित गवर्नेंस सुधार कानून संसद में पास कराने को कहा था, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें वहां चुनाव से पहले कार्यकारी सरकार बनाने का प्रावधान होता। मई 2020 में, चीन और पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में संयुक्त रूप से विवादास्पद डायमर–भाषा बांध बनाने पर सहमत हुए। भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में बांध के स्थान को देखते हुए, इस अंक में बांध के प्रति चीनी दृष्टिकोण, पाकिस्तान की वित्तीय बाधाओं और शुरुआती अनिच्छा दिखाने के बाद आखिरकार चीन को इसमें शामिल होने के लिए क्यों प्रेरित किया जा सकता है, इसका पता लगाने का संक्षिप्त प्रयास किया गया है। चीन का फैसला भारत के लिए एक संदेश हो सकता है। यह भारत के पड़ोस में अपनी भागीदारी को और गहरा करने के लिए क्षेत्र में चीन की रणनीतिक गतिविधियों का भी हिस्सा हो सकता है।

गिलगित–बाल्टिस्तान (जीबी) में डायमर– भाषा बांध (डीबीडी) परियोजना के लिए धन सुरक्षित करने के पाकिस्तान के प्रयासों ने समाचारों की सुर्खियां बटोरी, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बांध बनाने का फैसला किया है। 13 मई को, पाकिस्तानी सेना की निर्माण और इंजीनियरिंग शाखा, राज्य संचालित चाइना पावर एंड फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (एफडब्ल्यूओ) के बीच एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। पाकिस्तानी रुपये 442 बिलियन के अनुबंध से संबंधित समझौते पर पाकिस्तान के जल और बिजली विकास प्राधिकरण (डब्ल्यूएपीडीए) की ओर से डीबीडी परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीर बशीर चौधरी और चीन पावर का प्रतिनिधित्व करने वाले यांग जियानडु ने हस्ताक्षर किए। कंसोर्टियम में लगभग 70 प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी चीन के पास है और शेष 30 प्रतिशत एफडब्ल्यूओ के पास है। अधिक समय के बाद परियोजना की संशोधित लागत अनुमान वर्तमान में लगभग 1.4 ट्रिलियन पीकेआर है और इसके पूरा होने की नई समय सीमा 2028 है। परियोजना स्थल जीबी में चिलास से लगभग 40 किमी दूर सिंधु नदी पर स्थित है। प्रस्तावित डीबीडी परियोजना 4,500 मेगावाट की विशाल क्षमता वाला एक रोलर–कॉम्पैक्ट–कंक्रीट बांध है, जो पाकिस्तान के बिजली उत्पादन इतिहास में सबसे अधिक उपज का अनुमान है। 272 मीटर ऊंचे इस बांध की भंडारण क्षमता लगभग 8.1 मिलियन एकड़ फीट होगी। तारबेला बांध के बहाव क्षेत्र में और अधिक गाद जमा करने के उपाय के रूप में भी परिकल्पना की गई, डीबीडी परियोजना सिंधु नदी पर भंडारण क्षमता को बढ़ाकर बिजली संकट को कम करने और सिंचाई को बढ़ाने का प्रयास करती है। 2020 तक 99.238 बिलियन पाकिस्तानी रूपये खर्च किए जा चुके हैं और चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 61 बिलियन पाकिस्तानी रूपये और खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 22 बिलियन पाकिस्तानी रूपये पुनर्वास और शेष निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।

भारत सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाक प्रशासित कश्मीर और गिलगित–बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसलिए पाकिस्तान के पास यहां चुनाव करवाने का कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार ने 1994 में संसद में एक प्रस्ताव पास कर पाक प्रशासित कश्मीर और गिलगित–बाल्टिस्तान को भारत का अभिन्न अंग बताया था और पाकिस्तान से इस इलाके पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए कहा था। भारत ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1994 के प्रस्ताव को फिर से दोहराया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार भारत ने एक पाकिस्तानी राजनयिक को तलब कर दावा किया कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा इलाका उसके पूरे कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के कारण भारत का अभिन्न अंग है।

पाकिस्तान ने भारत की इस प्रतिक्रिया को खारिज कर कहा कि यह आधारहीन और भ्रामक है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और इसका फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस क्षेत्र को विवादित मानता है। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय राजनयिक को तलब कर उनसे अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। काराकोरम हाईवे (केकेएच), जिसे व्यापक रूप से दुनिया का

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

आठवां आश्चर्य माना जाता है, ने उन पहाड़ी क्षेत्रों को सांत्वना और कनेक्टिविटी का स्रोत प्रदान किया है, जहां से यह गुजरता है। इसका प्रभाव उस सार्थक जीवन में देखा जाता है जो इसने अपने लोगों को जीने में सक्षम बनाया है। इसी तरह, चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) गिलगित बाल्टिस्तान (जीबी) के निवासियों के बीच काफी चर्चा का विषय है। स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग नागरिकों तक, सीपीईसी जाहिर तौर पर शहर में चर्चा का विषय है। सीपीईसी के बारे में जनता की समझ को गहराई से समझने पर, मैंने देखा कि इसके संभावित परिणामों के संबंध में विचार काफी भिन्न थे।

भारत का विरोध सड़क के निर्माण से बनी स्थिति में एक और वेस्ट बैंक बनने की आशंका है। 1968 में जब परियोजना शुरू हुई, तो निर्माण की अवैधता पर भारतीय विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। 18 जून को पाकिस्तान के जनरल जिया और चीन के उप–प्रधान मंत्री केंग पियाओ द्वारा गिलगित में राजमार्ग के उद्घाटन के तुरंत बाद, भारतीय विदेश कार्यालय ने पाकिस्तानी और चीनी दूतों को बुलाकर एक और विरोध दर्ज कराया, जिसे पाकिस्तानियों ने तुरंत खारिज कर दिया। 29 जून को रावलपिंडी में एक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने 1969 में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे भी खारिज कर दिया गया था। कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र के माध्यम से सड़क बनाने के अपने अधिकार की पाकिस्तान की व्याख्या इस आधार पर आधारित है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को कभी भी भारत के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए, पाकिस्तान का कहना है कि नई दिल्ली के पास अंतरराष्ट्रीय कानून में विरोध करने का कोई आधार नहीं है। वेस्ट बैंक पर इजरायली बस्तियों की तरह, 30 वर्षों से कब्जे वाले क्षेत्र पर सड़क अब एक नियति बन गई है। चीन के इरादों को पढ़ते हुए भारत ने उद्घाटन समारोह में पियाओ के बयान पर गौर किया है। उन्होंने "कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए" चीनी समर्थन की पुष्टि की, यह वाक्यांश मई 1963 के चीन–पाक सीमा समझौते की याद दिलाता है। चीनियों ने उस समय यह स्पष्ट कर दिया था कि जब कश्मीर मुद्दा अंततः सुलझ जाएगा, तो सीमा रेखा बदलने के लिए तैयार रहेगी।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) सबसे बड़े विदेशी गलियारों में से एक है चीन ने "वन बेल्ट, वन रोड" पहल के ढांचे में निवेश किया है। आने वाले वर्षों के लिए लगभग 46 मिलियन से अधिक की राशि के व्यय की योजना बनाई गई है। जो चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा। एक ही समय पर, चीन की विदेश नीति में पाकिस्तान अधिक प्रमुख भूमिका निभाएगा। लेकिन सीपीईसी भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर असर पड़ता है। पाकिस्तान के बीच परिवहन गलियारा और चीन जम्मू और कश्मीर तक पहुँचता है, जिसकी स्थिति विवाद का विषय रही है। 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव। यह एक नकारात्मक परिदृश्य का संकेत है जिससे सीपीईसी भारत–पाकिस्तान पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। दूसरी ओर, समझौते से एक सकारात्मक परिदृश्य की भी कल्पना की जा सकती है कश्मीर विवाद के दीर्घकाल में भी संभव होने की संभावना है। वह तथ्य जिसने भारत को हाल के वर्षों में गिलगित बाल्टिस्तान को अधिक गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया है – अर्थात् चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी), जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत एक प्रमुख परियोजना है, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसे तीन देशों के सह–विकास का अग्रदूत बनाया जा सकता है।

भारत ने सीपीईसी और बीआरआई का मुख्य रूप से विरोध किया है क्योंकि यह 3,000 किलोमीटर लंबा गलियारा, जो चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में काशगर को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना चाहता है, गिलगित बाल्टिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करता है। जैसा कि हमने दिखाया है, भारत का विरोध कि यह उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है, कमजोर आधार पर खड़ा है। फिर भी, इस क्षेत्र में भारत की सुरक्षा चिंताएँ तीन कारणों से वास्तविक हैं। सबसे पहले, मजबूत और तेजी से बढ़ते चीन–पाकिस्तान संबंधों के कारण। दूसरा, क्योंकि चीन–पाकिस्तान गलियारा भारत के दो नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों – केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (जिसमें अब गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है) के बहुत करीब से गुजरता है। तीसरा, क्योंकि गलियारा ग्वादर बंदरगाह पर समाप्त होता है, जिसकी भारत को उचित आशंका है, इसका उपयोग चीन हिंद महासागर में अपने नौसैनिक प्रभुत्व के लिए कर सकता है।

गिलगित–बाल्टिस्तान में क्षेत्र चीन–पाकिस्तान गठजोड़ का भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव– चीन और पाकिस्तान के बीच यह गलियारा न सिर्फ भारत की सीमा से होकर गुजर रहा है, बल्कि भारत की संप्रभुता के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है. यह गलियारा कश्मीर के गिलगित–बाल्टिस्तान इलाके से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसने भारत के लिए विभिन्न सुरक्षा चिंताएँ बढ़ा दी हैं। यह गलियारा खुजेराब दर्रे से होकर गिलगित–बाल्टिस्तान में प्रवेश करता है। यह क्षेत्र पूर्ववर्ती जम्मू–कश्मीर रियासत का हिस्सा है और भारत इस पर दावा करता है, चूँकि इस रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। वन बेल्ट वन रोड पर चीन के साथ सहयोग की संभावना पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा: "वन बेल्ट वन रोड/बेल्ट एंड रोड पहल पर हमारी स्थिति स्पष्ट है।" और कोई बदलाव नहीं हुआ है"। उन्होंने आगे दोहराया कि तथाकथित चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। कोई भी परियोजना उस देश द्वारा कभी स्वीकार नहीं की जा सकती, जो उस देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती हो।

भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी की पहल सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत और अन्य मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, पारदर्शिता और समानता, कानून के शासन पर आधारित होनी चाहिए और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। रायसीना डायलॉग 2017 के दौरान, भारत के विदेश सचिव एस. जयशंकर ने यह भी कहा, कि चीन अपने क्षेत्र को लेकर संवेदनशील

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

है, लेकिन उसने हमसे परामर्श किए बिना पाकिस्तान के कब्जें वाले कश्मीर क्षेत्र में निर्माण शुरू कर दिया है। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तथ्य पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी दूसरे राज्य की संप्रभुता को कमजोर नहीं कर सकती है। जब से कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ है, इलाके में चीनी सेना की मौजूदगी भी शुरू हो गई है। 2017 में चीनी सैनिकों ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान दिवस की परेड में मार्च किया था। यह पहला मौका था जब चीनी सेना ने अपने देश के बाहर किसी परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान में स्थानीय नाम के तहत लगभग 30000 सैनिकों को तैनात किया है। ये सैन्यकर्मी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक सुरक्षा विंग स्थापित करेंगे और चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित परियोजनाओं के आसपास तैनात किए जाएंगे।

हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में सैनिकों को तैनात किया है। जबकि चीन इसे क्षेत्र में आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार के रूप में भ्रामक सत्यापन प्रस्तुत करता है। यह घुसपैठ की उपस्थिति भारत हेतु चिंता का कारण है। गिलगित–बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर – कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्सें – मीडिया के साथ–साथ सत्य अनुशीलनों का सर्वथा अभाव है। 1948 से पाकिस्तान के कब्जें वाले इस क्षेत्र को गुप्त रखा गया है और कश्मीर संघर्ष के दौरान यह स्पष्ट रूप से सामने आया। पाकिस्तान सरकार जम्मू–कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन के मुद्दें पर ध्यान भटकाने में लगातार लगा हुआ है। पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के भू–क्षेत्र, संसाधनों और लोगों का दुर्पयोग कर रहा है। सैन्य रूप से, इस क्षेत्र का उपयोग जम्मू–कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तानी सेना के सभी उपक्रमों के लिए एक लॉन्चिंग पैड के रूप में कार्य ले रहा है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कट्टरपंथी, चरमपंथी और आतंकवादी संगठनों के लिए एक स्थायी जन्मस्थली की मांग भी शामिल है। यद्यपि इस क्षेत्रो में चीनी सैनिकों की उपस्थिति के स्पष्ट व पर्याप्त प्रमाण है फिर भी पाकिस्तान और चीन दोनों ने इसका खंडन करते रहे है।

भारत की चिंताएँ वास्तविक हैं और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह टिप्पणी भारत के लिए इस परियोजना के निहितार्थों की पड़ताल करती है। ऐसा करने में, भारत तर्क है कि इस क्षेत्र में चीन का बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्रीय प्रभुत्व के उसके प्रयास को इंगित करता है, जो लंबे समय में भारत के हितों को खतरे में डाल सकता है।

हाल के वर्षों में, चीन, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा वाले इस क्षेत्र में भू–राजनीतिक और भू–रणनीतिक समीकरणों को बदलने में सक्षम रहा है। चीन द्वारा काराकोरम राजमार्ग के उत्तरोत्तर विकास, सड़क और रेल पहुंच के विकास के साथ–साथ बांधों और सुरंगों सहित अन्य निर्माणों ने इसे पाकिस्तान के माध्यम से अरब सागर और फारस की खाड़ी तक अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के प्रयास किए गए हैं। चीन के संदर्भ में देखा जाए तो काराकोरम राजमार्ग भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सेना को बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है। इसलिए, विवादित क्षेत्र में चीनी सैनिकों की मौजूदगी कश्मीर विवाद में चीन की प्रत्यक्ष भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। परिणामस्वरूप, यह, सैद्धांतिक रूप से, द्विपक्षीय विवाद को त्रिपक्षीय विवाद में बदल सकता है, जिसमें चीन तीसरा हितधारक होगा। इसके अलावा, चीन की सहायता से बनाई जा रही, सड़कें व पुल इस क्षेत्र में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के अभियानों को सुविधाजनक बनाते हैं।

इस चीन पाकिस्तान गठजोड़ का एक अन्य पहलू यह भी है कि दक्षिण एशिया में चीनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए "पाकिस्तान, चीन की ग्रांड स्ट्रेटजी" का अग्रणी राज्य है जो इन दोनों राज्यों के बीच के जुड़ाव को और अधिक रेखांकित करता है। स्त्रातजिक उन्नयन का अन्य पहलू यह भी है कि चीन का 'कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है' रुख सख्त हो सकता है, जो पहले के दृष्टिकोण से एक बदलाव को दर्शाता है कि 'यह वास्तव में भारत का हिस्सा है'। यह, चीन के निवासियों को स्टेपल वीजा जारी करने के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू–कश्मीर और भारत के उत्तरी सेना कमांडर को इस आधार पर वीजा देने से इनकार कर दिया गया है कि उन्होंने 'विवादित क्षेत्र' पर कब्जा कर लिया है, भारत सरकार को यह संदेह है कि क्या चीन विवाद की गतिशीलता को बदलने के लिए एकतरफा कदम उठा रहा है। इससे संबंधित भारत की घरेलू राजनीति को चीन सीधे हस्तक्षेप द्वारा प्रभावित करना चाहता है– इसमें कश्मीर घाटी में अलगाववादी आंदोलन, जो अलगाववादी नेता मीरवाइज फारूक को दिया गया निमंत्रण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उक्त घटनाक्रम भारत को भविष्य में तिब्बत से संबंधित मामलों में अपनी स्पष्ट विचार रखने का संकेत भी हो सकता है। ये घटनाक्रम न केवल भारत–चीन सीमा पर, बल्कि नियंत्रण रेखा पर भी भारत के लिए नई सैन्य चुनौतियां पेश कर रहे हैं। पहले के विपरीत, जब चीन के पास सैनिकों के लिए ईंधन आपूर्ति के मामले में भारत के पश्चिमी मोर्चे पर रसद सीमाएं थीं, काराकोरम राजमार्ग और चल रहे बुनियादी ढांचें के विकास से भारत के खिलाफ सैन्य अभियानों में आसानी होगी। इस क्षेत्र में पुनर्निर्माण और विकास को शामिल करते हुए चीन की गहन भागीदारी, क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को बदलने के लिए एक सूक्ष्म कदम की ओर इंगित करता है।

अंत में, भारत के लिए संयुक्त चीन–पाकिस्तान सैन्य खतरे के संदर्भ में, क्षेत्र में चीन की विकास गतिविधियों से चीन की सेना के पूरक के लिए पाकिस्तानी सेना की त्वरित और बढ़ी हुई तैनाती की सुविधा मिलने की संभावना है। इस प्रकार भारत से आगे निकल जाने की संभावना है। भारत के रणनीतिक माहौल के बारे में बढ़ी हुई चिंता का एक अन्य कारण चीन द्वारा बंदरगाहों और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत के चारों ओर "मोतियों की माला" स्थापित करना है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आवश्यकता हुई तो जमीन और पानी दोनों पर सख्ती की जाएगी। समय के साथ चीन की भू–रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्षेत्रीय प्रभुत्व की एक ग्रांड स्ट्रेटजी में बदल रही हैं, जिसका भारत के लिए गंभीर सुरक्षा निहितार्थ है।

मूल्यांकन– गिलगित–बाल्टिस्तान की स्थिति भौगोलिक रूप से अद्वितीय है। भारत और पाकिस्तान के अतिरिक्त इसकी सीमा

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

अफगानिस्तान और चीन से लगती है। गिलगित–बाल्टिस्तान के बारे में भारत का यह लगातार रूख रहा है कि यह क्षेत्र भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के इस अधिकृत भूभाग पर यहां रह रहे लोगों की अपेक्षा अधिक चिंता दर्शाता है। पाकिस्तानी सरकार द्वारा इस मुद्दें के समाधान के रूख से यह स्पष्ट है। सत्तासीन किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक हितों से जुड़ें मुद्दों के समाधान में कभी कोई वास्तविक रूचि नहीं दिखायी है। बल्कि इन मुद्दों की अनदेखी की गयी है। इस क्षेत्र की जनांकिकी भी बदल गयी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाहरी लोगों को बसाया गया है। वर्ष 1948 में इस क्षेत्र में शिया और इस्माइली 85 प्रतिशत थे। आज यह लगभग 50 प्रतिशत ही हैं। यह 1998 और 2017 में की गयी विगत दो जनगणनाओं के बीच तुलना से भी स्पष्ट है। जहां पाकिस्तान की जनसंख्या में 1998 से 2017 के बीच 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं उसी अवधि में गिलगित–बालतिस्तान की जनसंख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। भारत के साथ जुड़ने के गिलगित और बालतिस्तान के लोगों की इच्छा को सदा ही पाकिस्तान द्वारा रोका और कुचला गया है। दो सड़क मार्ग– एलओसी पर भारतीय हिस्से में कारगिल और लेह, स्कार्दु और खप्लु (पीओके हिस्सा) के साथ जुड़ता है, किंतु पाकिस्तान ने इन मार्गों पर आपसी संबंध की अनुमति प्रदान नहीं की है। उत्तरी क्षेत्रों को पीओके के शेष भाग से अलग कर दिया गया तॉकि अधिक संघीय नियंत्रण सुनिश्चित हो।

1962 से ही और 1963 में चीन–पाकिस्तान समझौते के बाद से चीन जम्मू और कश्मीर के लगभग 19 प्रतिशत भूभाग को कब्जा कर रखा है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग शामिल है। चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र के भूभाग का इस्तेमाल भारतीय हित को रोकने के लिए करते रहे हैं। पाकिस्तान में भी गिलगित–बाल्टिस्तान के लोगों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में आलोचना होती रही है। शुरूआत से ही उत्तरी क्षेत्र के लोगों को वंचित रखने की कहानी के रूप में पाकिस्तानी सत्ता की पहचान की गयी है। पाकिस्तान पत्रिका 'हेराल्ड' ने उत्तरी क्षेत्र को 'आखिरी उपनिवेश' माना। 14 अगस्त, 1964 को करांची आउटलुक ने लिखा, 'असुविधाजनक सच्चाई यह है कि कश्मीर मामले मंत्रालय ने स्वयं ही निहित स्वार्थ हासिल किया है। यह आजाद कश्मीर के भूभाग और गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रों को अपने अधीन माना, यह मंत्रालय कठपुतलियों के साथ समझौता करना चाहता है न कि अध्यक्षों के साथ जो वास्तव में उस स्थिति में हैं।' इतने समय के बावजूद किसी प्रकार का मंत्रालय स्तर का बदलाव नहीं हुआ है। गिलगित बालतिस्तान के लोगों को अधिकरों और सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इस क्षेत्र का प्रमुख समाचार पत्र के–2 ने सदा ही एक मुहावरा .सरजमीन बे आइन की आवाज (संविधान विहीन भूमि की आवाज) के लिए बोला है। यह स्वयं ही यहां के लोगों के दुख को बयां करता है। यही समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गिलगित बालतिस्तान के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं पर ध्यान देने की आवष्यक्ता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://oxfordre.com/asianhistory/display/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-378;jsessionid=2A70C52BD19AC8139BF1ACA2317996B9?rskey=4PUlyl&result=1
2. https://www.jstor.org/stable/45341958
3. Singh Jasjit, (1995)Pakistan Occupied Kashmir : Under The Jackbook , Genesis Publication, ISBN : 81-7020-680-4.
4. Gupta Virendra and Alok Bansal, Pakistan Occupied Kashmir The Untold Story,IDSA ISBN : 9788170493150.
5. Dr. Siraj Majid, Towaeds Peace in jammu, Kashmir and Laddkh .Manas Publication ISBN : 978-8170491620.
6. Gupta K.R., (2003) India-Pakistan Releasation With Specialn Refenceto Kashmir , Atlantic Press , ISBN 978-8126902699.
7. https://www.northtimes.org/short-history-of-gilgit-baltistan/
8. Mahmud, Ershad (2008), "The Gilgit-Baltistan Reforms Package 2007: Background, Phases and Analy sis", Policy Perspectives, 5 (1): 23-40, JSTOR 42909184
9. Kiani Khaleeq, "Rs442bn Accord for Construction of Diamer-Bhasha Dam Signed", Dawn, May 14, 2020.
10. Ibid.
11. Over Rs 99 Bln Spent on Diamer Bhasha Dam Project So Far", Associated Press of Pakistan,
12. https://p.dw.com/p/3bmtX
13. https://thegeopolitics.com/cpec-different-shades-of-views-in-gilgit-baltistan/
14. https://www.swp-berlin.org/publications/produ cts/comments/2016C25_wgn.pdf
15. https://thewire.in/diplomacy/a-10-point-plan-to-turn-gilgit-baltistan-into-a-zone-of-development-for-all
16. Pant, Harsh V., "Responding to the China-Pakistan Economic Corridor Challenge." livemint, Dec 1, 2017
17. Reuters, "Amid deepening ties, Chinese troops join Pakistan Day parade." March 23, 2017
18. The Times of India, "Chinese army spotted along Line of Control in Pakistan-occupied Kashmir, say sources." March 13, 2016

*****